मध्य प्रदेश, वन उपज के करारों का पुन:रीक्षण नियम, 1987

1. संक्षिप्त नाम - इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'मध्यप्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण नियम, 1987 है।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है "मध्यप्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण अधिनियम," 1987 (क्रमांक 32, सन् 1987)।

(ख) "अभिकर्ता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9, सन् 1969) की धारा 4 के अधीन या मध्यप्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम; 1964 (क्रमांक 29, सन् 1964) की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अभिकर्ता।

(ग) धारा से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(घ) कालावधि से अभिप्रेत है किसी कैलेण्डर वर्ष की 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाली और आगामी कैलेण्डर वर्ष के 30 जून को समाप्त होने वाली बारह मास की कालावधि किन्तु उस दशा मे जब कि किसी वन उपज के विक्रय या प्रदायके लिये कीमत या दर किसी करार के अधीन 1 जुलाई से भिन्न किसी तारीख से पुनरीक्षणीय है तब बारह मास की कालावधि ऐसी अन्य तारीख से प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।

3. करार में किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन की सूचना -

(1) धारा 3 के अधीन किसी करार को संशोधित करने से पूर्व, राज्य सरकार संबंधित क्रेता को करार में किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में एक लिखित सूचना देगी जिसके द्वारा उक्त क्रेता से यह उपेक्षा की जायेगी कि वह प्रस्तावित संशोधन के हेतुक सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्शित करे। उक्त सूचना में, संशोधन के प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तारीख भी विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(2) जहाँ करार में किये जाने वाला प्रस्तावित संशोधन, करार में नियत की गई वन उपज के विक्रया या प्रदाय के लिये कीमत या दर के और/या उसक परिमाण के पुनरीक्षण से सम्बन्धित है, वहाँ धारा 4 के अधीन बाजार मूल्य के अवधारण का आधार स्पष्ट करने वाली एक टिप्पणी सूचना के साथ क्रेता को भेजी जायेगी।

(3) राज्य सरकार, उस अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, जो क्रेता से उप-नियम (1) के अधीन हेतुक दर्शाने को सूचना (शोकाज नोटिस) के उत्तर में नियत कालावधि के भीतर उसे प्राप्त हो, विचार करेगी और यह विनिश्चित करेगी की क्या प्रस्तावित संशोधन किसी उपान्तरण सहित या उसके बिना प्रभावी होगा :

परन्तु कोई ऐसा उपान्तरण जो क्रेता के लिये उपनियम (1) अधीन प्रस्तावित संशोधन से अधिक अनुकूल हो, उसे सुनवाई या युक्ति-युक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(4) यदि राज्य सरकार, यह विनिश्चित करती है कि करार में कोई संशोधन किया जाये, तो उस आशय के विनिश्चित की घोषणा ऐसे आदेश द्वारा किया जायेगा जो राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि क्रेता को भेजी जायेगी।

4. धारा 4 के अधीन बाजार मूल्य का अवधारणा - (1) राज्य सरकार द्वारा वन उपज का बाजार मूल्य, निम्नलिखित बातों पर विचार करने के पश्चात् अवधारित किया जायेगा अर्थात्

(क) वन विक्रय कीमतों पर, जो राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रदाय वर्ष के प्रारमभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान राज्य के भीतर किये गये ऐसी वन के खुले विक्रयों (ओपन सेल्स) तथा परक्राम्य विक्रयों (नेगोशिएटेज सेल्स) में अभिप्राप्त की गई, परन्तु जहाँ बारह मास की कालावधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के भीतर कोई ऐसी विक्रय नहीं हुआ हो, या राज्य

सरकार की राय में उस कालावधि के दौरान किये गये विक्रय संव्यवहारों की संख्या या मात्रा बाजार मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं हो, तो राज्य सरकार उन विक्रयों में अभिप्राय विक्रय कीमतों पर विचार करेगी जो प्रदाय वर्ष की तारीख से पूर्ववर्ती चौबीस मास की कालावधि के दौरान किए गये :

परन्तु यह और भी की यदि राज्य सरकार की राय में, किसी विक्रय में अन्तर्वलित वन उपज का परिमाण इतना कम या नगण्य है कि उसे बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये प्रतिनिधिक दृष्टान्त के रूप में नहींमाना जा सकता है तो राज्य सरकार मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विक्रय को नजरअंदाज कर सकेगी-

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये विक्रयों में अंतर्वलित क्वालिटी तथा परिमाण को उस दशा में अधिमान (वेटेज) दिया जायेगा जब एक से अधिक विक्रय हो।

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये विक्रयों की तारीखों से वन उपज की कीमत का सामान्य रुख।

(घ) उन क्षेत्रों का, जहाँ खण्ड (क) में निर्दिष्ट हुए हों, उन क्षेत्रों से जहाँ से क्रेता को वन उपज का प्रदाय किया जाना हो, सामीप्या या दूरी पर विचार किया जायेगा, और

(ङ) कोई अन्य बात जो राज्य सरकार की राय में बाजार मूल्य का अवधारणा करने के लिए सुसंगत है।

(2) जहाँ उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कालावधि के दौरान राज्य के भीतर वन उपज का कोई विक्रय नहीं हुआ हो, वहाँ मध्यप्रदेश राज्य से लगे हुए एक या एक से अधिक राज्यों में हुए ऐसी वन उपज के खुले विक्रयों तथा परक्राम्य विक्रयों के संव्यवहारों पर विचार करते हुए, किन्तु यथासंभव उपनियम (1) में उल्लेखित बातों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा व उपज के बाजार मूल्य का अवधारण किया जायेगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए "खुले विक्रय" के अन्तर्गत आयेंगे वे विक्रय जो लोक नीलामें द्वारा या सार्वजनिक या परिसीमित निविदाएँ आमंत्रित करके किये गए हों और "परक्राम्य विक्रय" के अन्तर्गत वे विक्रय नहीं आयेंगे जिनमें विक्रय या प्रदाय के लिये कीमत या दर किसी पूर्व विद्यमान करार के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा नियत की गई हो।

(म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 2-5-88 को पृष्ठ 874-875 पर प्रकाशित)